RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : बुधवार 19 जून 2024 वर्ष 06 अंक 62 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

मुंबई/ मनपा ने रेलवे को फिर से नाला सफाई करने का दिया निर्देश...

Page - 4

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

लोकसभा चुनावों में विपक्ष के झूठे बयानों ने भाजपा के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाया - फडणवीस

विपक्ष ने यह आरोप लगाकर मतदाताओं को किया गुमराह...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के आगामी एमएलसी चुनावों को लेकर विपक्ष की आलोचना की । उनहोंने कहा लोकसभा चुनावों में विपक्ष के झूठे बयानों ने भाजपा के प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाया लेकिन एमएलसी चुनाव मे उसक कोई साजिश नहीं चलने वाली। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने यह आरोप लगाकर मतदाताओं को गुमराह किया कि भाजपा संविधान में बदलाव करने और आरक्षण समाप्त करने के लिए 400 सीटें हासिल करना चाहती है।

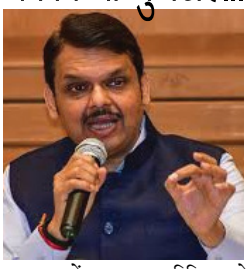

फडणवीस ठाणे में कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए इस बार जोर दिया कि विपक्ष के बयान का मुकाबला करने के लिए भाजपा को एमएलसी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। उन्होंने सभी चार एमएलसी सीटें जीतने का भरोसा जताया, जिसके नतीजे 1 जुलाई को आएंगे।

महाराष्ट्र में चार सीटों के लिए चुनाव होंगे हमारी सरकार लोगों के अनुकूल है और राज्य की राजनीति में एक नई कहानी रचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आम चुनावों में विपक्ष को 43.9% वोट मिले, जबकि भाजपा को 43.6% वोट मिले। इस मामूली अंतर के कारण विपक्ष ने 31 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को केवल 17 सीटें मिलीं। इसके साथ ही फडणवीस ने सभी चार एमएलसी सीटें जीतने का भरोसा जताया, जिसके नतीजे 1 जुलाई को आएंगे। कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, भाजपा ने कांग्रेस के रमेश कीर के खिलाफ निरंजन डेखरे को मैदान में उतारा है। फडणवीस ने पंजीकृत मतदाताओं द्वारा मतदान सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए लगभग 2.25 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 99,000 अकेले ठाणे जिले से हैं। रायगढ़ जिले के मतदाताओं को शामिल करने पर कुल मतदाता 1.50 लाख हो जाते हैं। फडणवीस ने एनडीए पदाधिकारियों से गुजारिश की वे यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम करें कि सभी पंजीकृत मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए आगाह किया और मतदाताओं को चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

महाराष्ट्र/ पंकजा मुंडे समर्थकों की आत्महत्याओं से परेशान...

कहा- लोकसभा चुनाव जीत जाती तो मुझे 'हीरो' माना जाता

लातूर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता पंकजा मुंडे ने अपने समर्थकों की आत्महत्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर वह हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव जीत जाती तो उन्हें 'हीरो' माना जाता, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बता दें कि मुंडे, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीड सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के बजरंग सोनवणे से 6,553 मतों के मामूली अंतर से हार गई।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय सचिव ने कहा, ''मुझे 6.7 लाख वोट मिले। अगर मैं जीत जाती तो मुझे हीरो माना जाता, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता।'' मुंडे ने कहा कि 2019 का चुनाव हारने के बाद उन्हें पांच साल के वनवास का सामना करना पड़ा और हालिया हार के बाद उनके समर्थक उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, ''मैंने अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा। जब तक पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी घोषित नहीं की तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगी।'' मुंडे ने कहा कि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के बाद अपनी अगली रणनीति बनाएंगी।

पंकजा ने अपने समर्थकों से आत्महत्या नहीं करने की अपील की और कहा कि अगर कोई और आत्महत्या जैसा कदम उठाएगा तो वह राजनीति को छोड़ देंगी। उन्होंने ने कहा, ''अपने समर्थकों की आत्महत्या से मैं सदमे में हूं। मैं खुद को दोषी महसूस कर रही हूं। अगर आपको बहादुरी से लड़ने वाला नेता चाहिए तो मुझे भी बहादुरी से लड़ने वाला कार्यकर्ता चाहिए। मैं अपने लोगों को खोना नहीं चाहती। मैं हार से निराश नहीं होती लेकिन ऐसी घटनाएं मुझे झकझोर देती हैं।''

पांच समर्थकों ने की आत्महत्या

गौरतलब है कि पंकजा को लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनके समर्थक सदमें है। उनके अब तक पांच समर्थकों ने आत्महत्या की है। इन आत्महत्याओं से पंकजा मुंडे हिल गई है। उन्होंने आत्महत्या करने वाले समर्थकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान पंकजा बिलखते परिवारों को देख अपने आंसू नहीं रोक पाई। पंकजा मुंडे की हार के कारण सचिन कोंडीबा मुंडे, पांडुरंग रामभाऊ सोनवणे, पोपट वायभासे, गणेश उर्फ हरिभाऊ भाऊसाहेब बड़े और संदीप शिरसाट ने आत्महत्या की है।

मुंबईः शराब के नशे में धुत व्यक्ति ने एसयूवी से महिला और पुलिसकर्मी को टक्कर मारी

मुंबई : मुंबई के खार इलाके में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने एक व्यस्त मार्ग पर अपनी 'स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल' (एसयूवी) से एक महिला और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रविवार शाम करीब 7:45 बजे हुई दुर्घटना के सिलसिले में आरोपी हितेन देसाई को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि घटना के समय देसाई शराब के नशे में था और बांद्रा में संपर्क मार्ग पर वाहन चला रहा था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पहले एक महिला को टक्कर मारी जो अपने दोपहिया वाहन के पास पति के साथ खड़ी थी और इसके बाद उसे (आरोपी को) रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी को एसयूवी से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि देसाई ने अपना वाहन नहीं रोका, लेकिन स्थानीय लोगों ने कुछ दूरी पर उसे पकड़कर यातायात पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मुंबई से सटे वसई में खूनी ब्रेकअप

सनकी आशिक ने सरेआम की एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या, तमाशबीन लोग

मुंबईः मुंबई से सटे वसई में मोहब्बत में मर्डर की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पालघर के वसई में ऑफिस जाने के लिए घर एक निकले एक युवक ने प्रेमिका को सरेआम बड़े रिंच से ताबड़तोड़ हमला करके मार डाला। प्रेमिका के जमीन पर गिर जाने के बाद आरोपी डेडबॉडी के पास बैठ गया और फिर कहने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दिनदहाड़े हुई इस घटना में लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन 22 साल की लड़की जान नहीं बचा पाए। दिन दहाड़े हुए इस मर्डर में आरोपी लड़की के ऊपर 15 से अधिक बार रिंच से हमला करता है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि एक लड़का बचाने की कोशिश करता है तो आरोपी उसे डराकर भगा देता है।

ऑफिस जा रही थी प्रेमिका

पुलिस के अनुसार वसई में गौरईपाड़ा में एक व्यस्त सड़क पर मंगलवार को दिनदहाड़े सुबह हत्या की घटना हुई। पुलिस के अनुसार शख्स की पहचान रोहित यादव (29) के रूप में हुई है और मृतका आरती जाधव (22) है। जांच में सामने आया है कि नालासोपारा शहर के पास रहने वाले इस जोड़े के बीच पिछले दो साल से रिश्ता था, लेकिन रोहित को अचानक संदेह हुआ कि वह उसे धोखा दे रही है। फिर उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ और रोहित ने चुपचाप उसके खिलाफ रंजिश पाल ली। मंगलवार सुबह (18 जून) को वह वसई में एक निजी कंपनी में काम करने के लिए अपने घर से निकली। तभी वहां गुस्साए रोहित ने गौरीपाड़ा में उससे बात की और पूछा कि उसका किसके साथ रिश्ता चल रहा है?

ठाणे: कोर्ट ने रेप केस में डॉक्टर की जमानत याचिका की खारिज

ठाणे : महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने महिला से शादी का वादा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार 32 वर्षीय एक डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जांच के लंबित रहने के दौरान आरोपी को जमानत दिए जाने पर साक्षों से छेड़छाड़ संभव है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश प्रेमल एस विठलानी ने 11 जून को दिए अपने आदेश में कहा, ''मेरे विचार से अपराध की गंभीरता और मामले के तथ्यों को देखते हुए जांच के बीच में जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता है।'' इस आदेश की एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।

संपादकीय...

चीन की दादागीरी

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

अमेरिकी संसद द्वारा पारित तिब्बत और चीन से जुड़ा नया विधेयक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तिब्बत के मुद्दे को एक नई एवं सार्थक दिशा दे सकता है। 'तिब्बत-चीन विवाद को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन संबंधी कानून (2024)' पर अब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने शेष हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस पर पूरी तरह अमल करना भावी अमेरिकी प्रशासन के लिए कानूनी बाध्यता बन जाएगा। यह कानून भले ही तिब्बत के निर्वासित शासक दलाई लामा और चीन सरकार को बातचीत के जरिये परस्पर विवाद सुलझाने में सहयोग करने वाले एक दोस्ताना कदम जैसा लगता हो, लेकिन इसकी भाषा से समझ आता है कि यह तिब्बत को 73 साल से चले आ रहे चीनी उपनिवेशवादी कब्जे से मुक्ति दिलाने के अभियान की घोषणा है। अमेरिका की इस नई पहल में भारत जैसे उन एशियाई देशों के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खुलने के आसार बनते दिख रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वभौमिक हितों पर तिब्बत पर चीनी अवैध कब्जे के बाद खतरे बढ़े हैं।

अमेरिका की राजनीति में भले ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोफाड़ हों, मगर उक्त कानून पर दोनों दलों में सर्वसम्मति का भाव है और इसीलिए दोनों दलों के सांसद दलाई लामा से मिलने आ रहे हैं। इस कानून में तिब्बत को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपनाने वाले राष्ट्रपति शी चिनफिंग के रवैये को चुनौती दी गई है। तिब्बत को चीन का 'अविभाज्य अंग' बताने, उससे जुड़े हर सवाल को चीन का 'आंतरिक' विषय कहने, तिब्बत की चर्चा मात्र पर आंखें तरेरने वाले एवं तिब्बत और अपनी 'वन-चाइना' पालिसी को लेकर अति आग्रही चिनफिंग की इससे जुड़ी नीतियों को नए कानून में अमान्य ठहराया गया है। इसमें चीन के हर उस दावे को झूठा घोषित किया गया है, जिन्हें पिछले 40 साल से चीन सरकार दलाई लामा के साथ वार्ता की मूलभूत शर्तों के रूप में पेश करती आई है। इसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि तिब्बत एक कब्जाया हुआ देश है और वह इतिहास में कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। चीन सरकार तिब्बत की निर्वासित सरकार के साथ बातचीत में तिब्बत की परिभाषा को मात्र 'तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र' (टार) तक सीमित मानती है, जबकि अमेरिकी कानून में 'तिब्बत' के दायरे में उसके खम एवं आम्दो प्रांतों के उन हिस्सों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें तिब्बत को कब्जाने के बाद उन्हें तिब्बत से काटकर यून्नान, सिचुआन, चिंघाई और गांसू जैसी सीमावर्ती चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। नए कानून में धर्मशाला-बीजिंग की प्रस्तावित शांति वार्ताओं में तिब्बत की ओर से न केवल दलाई लामा और उनके प्रतिनिधियों को भाग लेने का अधिकारी माना गया है, बल्कि अब धर्मशाला में तिब्बती जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करके केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को 'तिब्बती सरकार' जैसी परोक्ष मान्यता भी दी गई है।

editor@rokthoklekhaninews.com
+91 99877 75650
Faisal Shaikh @faisalrokthok

ROKTHOK LEKHANI NEWS
KHABREIN BE ROKTOK
Watch Us On YouTube
LIKE SHARE COMMENT SUBSCRIBE
youtube@rokthoklekhani

पैन कार्ड के दुरुपयोग के बढ़ते मामले मुंबई की एक गृहिणी ने टैक्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा लड़ा

मुंबई की एक गृहिणी और वरिष्ठ नागरिक को अपने पैन के कथित दुरुपयोग को लेकर (कऊअऊ) स्तर तक मुकदमा करना पड़ा, जब एक कर अधिकारी ने माना कि उसने 2010-11 में 1.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति बेची थी और इसे अपनी आय के रूप में माना था। अनपढ़ और कैंसर की मरीज होने के कारण महिला ने आईटी नोटिस का जवाब नहीं दिया। आईटीएटी के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में उसके वकील ने कहा कि संपत्ति पंजीकरण में उसके पैन का दुरुपयोग किया गया था।

न्यायाधिकरण ने कहा कि आईटी अधिकारी ने स्वतंत्र जांच नहीं की थी, जैसे कि संपत्ति के रजिस्ट्रार और खरीदार से विवरण मांगना। इसने आयकर विभाग को रजिस्ट्रार से पूरी जानकारी मांगने और महिला को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने का आदेश दिया। यह कोई अकेली घटना नहीं थी। पूरे भारत में पैन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं - चाहे वह मध्य प्रदेश के बैतूल की उषा सोनी हो, जिन्हें उनकी मृत्यु के एक दशक बाद 7.5 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस जारी किया गया था, या राजस्थान के एक छोटे दुकानदार नंद लाल, जिन्होंने 12.2 करोड़ रुपये का आयकर नोटिस मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मृतक, वरिष्ठ नागरिक, किसान और छात्र पैन धोखाधड़ी करने वालों के लिए आसान लक्ष्य होते हैं।

''बेईमान तत्वों द्वारा पैन का दुरुपयोग कई मुश्किलों का कारण बन सकता है, जिसमें पैन धारक से संबंधित नहीं होने वाले लेन-देन के लिए मूल्यांकन के दौरान किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि के कारण उस पर भारी मांग की जा सकती है। जबकि किसी के पैन के बारे में उच्चतम गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए, वास्तविकता यह है कि विवरण विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से साझा किए जाते हैं,'' चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन वजानी ने कहा।

''व्यक्तियों को अपने पैन की जानकारी/पैन कार्ड को साझा करने से बचना चाहिए, जहां यह सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अनिवार्य नहीं है या सार्वजनिक डोमेन में है,'' केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टीओआई द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में एक ईमेल में कहा। ''वर्तमान में पैन डेटाबेस 70 करोड़ से अधिक है। आधार से लिंक करना मुख्य रूप से पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया था। हालांकि, अगर पैन के दुरुपयोग का संदेह है, तो यह सलाह दी जाती है कि पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है।'' ITAT के आदेश की पृष्ठभूमि में, मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स के टैक्स पार्टनर अमीत पटेल ने कहाः ''विभिन्न एजेंसियों द्वारा दायर की गई सूचनाओं पर पूरी तरह से निर्भर रहने और करदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आयकर विभाग का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और विभाग को इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अब यह ऐसी स्थिति में आ गया है कि प्रत्येक करदाता को हर कुछ सप्ताह में अपने वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) की जांच करनी होगी।'' एआईएस रिपोर्टिंग संस्थाओं (बैंक और संपत्ति रजिस्ट्रार) से प्राप्त व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जैसे बैंक ब्याज, लाभांश, प्रतिभूतियों या अचल संपत्तियों की खरीद और बिक्री लेनदेन। ''जब भी किसी को एआईएस में कोई गलत प्रविष्टि मिलती है, तो एआईएस सिस्टम में तुरंत प्रतिक्रिया देना और गलती को इंगित करना सबसे अच्छा होगा। पटेल ने कहा, ''अगर गलती को सुधारा नहीं जाता है, तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत पड़ती है।''

महाराष्ट्र में फिर होगा खेला!

शरद पवार के पोते का दावा- 'अजित गुट के 19 विधायक जल्द बदलेंगे पाला'

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेला हो सकता है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता रोहित पवार ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनसीपी के 18 से 19 विधायक आगामी मानसून सत्र के बाद उनके पाले में आ जाएंगे। रोहित पवार ने कहा कि अजित के गुट (NCP) के कई विधायक हैं, जिन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी में हुए विभाजन के बाद कभी भी पार्टी के संस्थापक शरद पवार और अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ बुरा नहीं कहा है।

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते ने कहा कि अजित पवार गुट के विधायकों को विधानसभा सत्र में भाग लेना है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास निधि का पैसा लेना है। इसलिए वे सत्र समाप्त होने तक पाला बदलने के लिए इंतजार करेंगे। शरद पवार के पोते ने दावा किया कि 18 से 19 एनसीपी के विधायक हैं, जो हमारे और पवार साहब के संपर्क में हैं। अजीत गुट के ये सभी विधायक मानसून सत्र के बाद उनके साथ हो जाएंगे।

अजित पवार की पार्टी में प्रफुल्ल पटेल का पूरा नियंत्रण

अहमदनगर जिले के कर्जत-जामखेड से विधायक रोहित पवार ने आगे कहा कि शरद पवार और अन्य एनसीपी नेता इस बारे में फैसला लेंगे कि वे वापस पार्टी में किसे शामिल किया जाए? इसके साथ ही रोहित पवार ने बताया कि एनसीपी के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जब अगला केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब वह मंत्री बनेंगे। इसका मतलब है कि अजित पवार की पार्टी पर प्रफुल्ल पटेल का पूरा नियंत्रण है।

27 जून से शुरू हो रहा महाराष्ट्र का मानसून सत्र

बता दें कि जब पार्टी बंटी नहीं थी तब एनसीपी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में 54 सीटें जीती थीं। जुलाई 2023 में जब पार्टी विभाजित हुई, तो अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने लगभग 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 27 जून से शुरू होकर 12 जुलाई को समाप्त होगा।

मुंबई, पुणे के बार में शराब पीने के लिए अब प्रमाण पत्र जरूरी होगा

मुंबई : मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे बड़े शहरों में नाबालिगों द्वारा शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कई मामले सामने आए हैं. तो अब मुंबई पुणे में बार और पब में शराब पीने से पहले उम्र का प्रमाण पत्र जांचा जाएगा।

सरकार ने अब शराब के शौकीनों के लिए नियम बनाए हैं. सरकार की तरह अब पब और बार मालिकों ने भी पहल की है. कुछ दिन पहले पुणे शहर में हुए पोर्शे कार हादसे के बाद अब बार और पब को शराब पीने के अड्डे में तब्दील कर दिया गया है. पुणे में एक नाबालिग ने शराब के नशे में कार चलाई और दो लोगों को कुचल दिया. इसके बाद इस मामले में कई पक्ष सामने आए. पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की. लेकिन मीडिया और जनता के आक्रोश के कारण इस मामले में नौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस और प्रशासन की काफी आलोचना हुई थी. इससे जागे पब और बार संचालकों ने अब अपने सख्त नियम बना लिए हैं। इसके चलते मुंबई और पुणे में शराब और शराब पीने वालों के लिए उम्र का प्रमाण पत्र जरूरी होगा।

पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे बड़े शहरों में नाबालिगों द्वारा शराब के नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कई मामले सामने आए हैं. तो अब मुंबई पुणे में बार और पब में शराब पीने से पहले उम्र का प्रमाण पत्र जांचा जाएगा। इसके लिए सरकारी पहचान पत्र में दर्ज उम्र को देखा जाएगा। नाबालिगों को बार और पब में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर ही पहचान पत्र की जांच की जाएगी। शराब और बीयर पीने के लिए 21 वर्ष और शराब पीने के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य होगी। कई पब संचालकों ने बिना आईडी दिखाए शराब नहीं परोसने का फैसला किया है.

पुणे पोर्शे हादसे ने बढ़ाई विशाल अग्रवाल की मुश्किलें!

पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग बेटे के पिता विशाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशाल के खिलाफ हिंजवडी पुलिस स्टेशन में एक और मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर सकती है. यह मामला बावधन में ज्ञानसी ब्रह्मा सोसायटी द्वारा दर्ज कराया गया है।

कल्याण-डोंबिवली में महामारी नियंत्रण के लिए छिड़काव अभियान

कल्याण: मानसून की शुरूआत के साथ ही इस दौरान कई तरह की महामारी बढ़ जाती है. इन महामारी को फैलने से रोकने के लिए कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट विभाग ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष कीटाणुनाशक, धुआं छिड़काव अभियान शुरू किया है। आयुक्त डॉ. इंदुरानी जाखड़ के आदेश पर ठोस अपशिष्ट विभाग के उपायुक्त अतुल पाटिल ने इस विशेष छिड़काव अभियान की योजना बनाई है. अभियान की शुरूआत डोंबिवली के इंदिरा चौक से की गई. इस अवसर पर डोंबिवली प्रभाग के मुख्य स्वच्छता अधिकारी वसंत डेगलौरकर, स्वच्छता अधिकारी शरद पांडे, के. पी। जगताप उपस्थित थे. इस विशेष अभियान में 122 सफाई कर्मचारी, 122 ब्रास स्प्रे पंप, 30 स्मोक मशीन, तीन स्मोक जीप, 11 ट्रैक्टर शामिल हैं। सुबह-शाम छिड़काव किया जाएगा।

ठेले चलने लगे

हालांकि आयुक्त ने महामारी पर नियंत्रण के लिए विशेष छिड़काव अभियान चलाया है, लेकिन खुले ठेलों पर खाद्य सामग्री से महामारी फैल गयी है. वे ट्रेनें सी वार्ड को छोड़कर नौ वार्डों की सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर चल रही हैं। शाम चार बजे से ही खाने-पीने की दुकानें ग्राहकों से भर जाती हैं। शिकायत है कि डोंबिवली के एच वार्ड, ई वार्ड, डी, ए वार्ड में सबसे ज्यादा ठेले लगाए जा रहे हैं.

धाराविकरों के पुनर्वास का विरोध...

कुर्ला के स्थानीय लोगों ने 'डीआरपीपीए' को जगह देने के सरकारी फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की

मुंबई: धारावी पुनर्विकास योजना के तहत कुर्ला की मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर भूमि पर धारावी के अयोग्य निवासियों के पुनर्वास का स्थानीय लोगों और जन प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध किया है। किसी भी मामले में, कुर्ला के लोगों ने मदर डेयरी साइट को धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) को हस्तांतरित करने का विरोध किया है, यह मानते हुए कि धारावीकरों को यहां पुनर्स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, न ही मदर डेयरी साइट को एक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए उद्योग। इस सीट को डीआरपीपीए को आवंटित करने के सरकारी फैसले को रद्द करने की मांग की गई है. 15 दिनों के अंदर सरकार द्वारा निर्णय नहीं लेने पर जनआंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.

धारावी पुनर्विकास में अयोग्य निवासियों को धारावी के बाहर पट्टे पर घर दिए जाएंगे। इसके लिए डीआरपीपीएल ने राज्य सरकार से मुलुंड, कुर्ला, मानखुर्द और अन्य स्थानों पर जमीन की मांग की है। इस मांग के मुताबिक सरकार ने DRPPA को कुर्ला में 8.5 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया है. तदनुसार, इस संबंध में सरकार का निर्णय 10 जून को जारी किया गया है। इस बीच, राज्य सरकार ने भी मुलुंड में सीटों के आवंटन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसे लेकर मुलुंड निवासी पहले ही आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. वे मुलुंड में धाराविकरों के पुनर्वास के खिलाफ हैं। अब कुर्ला के निवासियों ने धाराविकरों को कुर्ला में बसाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कुर्ल्या में मदर डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन डीआरपीपीएल को आवंटित करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। पीपुल्स मूवमेंट ने मांग की है कि 15 दिन के अंदर यह सीट डीआरपीपीएल को देने का फैसला रद्द किया जाए. अगर अगले 15 दिनों में सरकार का फैसला रद्द नहीं किया गया तो जन आंदोलन तेज किया जायेगा. जन आंदोलन कार्यकर्ता किरण पेलवान ने चेतावनी दी है कि बड़ी संख्या में कुर्ला निवासी सड़कों पर उतरेंगे और इस स्थान पर कोई विकास नहीं होने देंगे, साथ ही उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि मदर डेयरी साइट पर एक पार्क बनाया जाना चाहिए।

स्थानीय विधायक ने भी आपत्ति जताई...

शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर ने भी यह रुख अपनाया है कि धाराविकरों को कुर्ला में दोबारा नहीं बसाया जाना चाहिए। डेयरी साइट डीआरपीपीएल को देने के सरकार के फैसले को रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र भेजा गया है. तदनुसार, कुडालकर ने लोकसत्ता को सूचित किया है कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह भी कहा कि मांग है कि उक्त स्थान पर पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाये.

स्विमिंग पूल में तैरते समय बालक घायल... नगर पालिका की बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन?

डोंबिवली : डोंबिवली खेल परिसर में केडीएमसी स्विमिंग पूल में तैराकी करने गए तन्मय कांबले (उम्र 13 वर्ष) को स्विमिंग पूल में टूटी टाइल्स की चपेट में आने से हाथ पर गंभीर चोटें आईं। ये वाकया रविवार शाम का है. अभिभावकों का कहना है कि उस स्थान पर फर्स्ट एड बॉक्स ठीक नहीं था और नगर निगम के कर्मचारियों ने भी इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया.

डोंबिवली के गोग्रासवाड़ी इलाके के रहने वाले तन्मय कांबले और शार्दुल हंकारे रविवार को शाम के बैच में डोंबिवली खेल परिसर के स्विमिंग पूल में तैरने गए थे।

स्विमिंग पूल में तैरते समय टूटे हुए टाइल्स का एक हिस्सा तन्मय के बाएं हाथ पर लग गया और वह घायल हो गए। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया है, वे दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आए और इस मामले को सामने लाया। नगरपालिका कर्मचारी. लेकिन तन्मय का आरोप है कि उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई. वहां फर्स्ट एड बॉक्स भी ठीक नहीं था तो दोनों ने रिक्शा लिया और घर पहुंच गए। रविवार होने के कारण डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। तन्मय ने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, उसके माता-पिता तरण झील पर पहुंचे और नगर निगम के कर्मचारियों से पूछा। उन्होंने नगर पालिका की अव्यवस्थाओं पर रोष जताया।

अपाहिज पत्नी को भरण-पोषण देना होगा!

एनआरआई को हाईकोर्ट का आदेश

मुंबई: हाई कोर्ट ने अनिवासी भारतीय को बिस्तर पर पड़ी पत्नी को अंतरिम प्रावधान के तौर पर प्रति माह 1 लाख 20 हजार रुपये का भरण-पोषण खर्च देने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की एकल पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को भरण-पोषण खर्च की राशि कम करने के अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किया। अपीलीय अदालत ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई और माना कि पति को तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। चूंकि अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाई, इसलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। इसलिए, याचिकाकर्ता प्रति माह 1 लाख 20 हजार रुपये के रखरखाव खर्च का हकदार था, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए कहा। साथ ही एकल पीठ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अपीलीय अदालत ने रखरखाव खर्च में कटौती का आदेश देते समय कोई कारण नहीं बताया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपीलीय अदालत अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकती और भरण-पोषण खर्च की राशि 120,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये नहीं कर सकती.

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने 2016 में शादी कर ली। चूंकि प्रतिवादी पति लंदन में कार्यरत था, इसलिए शादी के बाद दोनों लंदन चले गए। घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद याचिकाकर्ता को वहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर से छुट्टी मिलने के बाद उनका परिवार उन्हें मुंबई ले आया। इसके बाद पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति से भरण-पोषण खर्च की वसूली के लिए आवेदन किया। लंदन से पति की आय को ध्यान में रखते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को 120,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पति द्वारा इस आदेश को अपीलीय अदालत में चुनौती देने के बाद, बिना कोई कारण बताए भरण-पोषण की राशि घटाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

मानसून के दौरान सड़कों को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए मनपा की सूक्ष्म योजना...

मुंबई : मानसून के दौरान सड़क के चल रहे कामों से लोगों को परेशानी न हो और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ मनपा प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मनपा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुरक्षित स्थिति में रखने का निर्देश दिया गया है। मनपा ने इसी लिए कुल 227 वार्ड की सड़कों पर नजर रखने के लिए एक एक वार्ड के सब इंजिनियर नियुक्त किए गए हैं। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने जानकारी दी है कि मुंबई शहर की सड़कों को बारिश के बाद सीमेंटेड किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस से परमिशन मिलने में देरी मनपा ने माना कि सीमेंटेड करने का काम धीमा है। इसके लिए उन्होंने कई कारणों को गिनाया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़कों को बंद करने की अनुमति देने में देरी प्रमुख है। इसलिए सड़कों का काम शुरू होने में देरी होती है। साथ ही यूटिलिटीज, सीवरेज चैनल, पानी की पाइप लाइन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज लाइन की मरम्मत और स्थांतरण का कार्य किया जाता है। इसलिए सड़क कार्य शुरू होने में नियोजित समय से अधिक समय लगता है। साथ ही दिन के समय मुंबई शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण सड़क कार्य के लिए आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। मुंबई में सड़कें दिन भर वाहनों के कारण व्यस्त रहती हैं, इसलिए सड़क का काम रात में करना पड़ता है।

अडानी इलेक्ट्रिसिटी की बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए छापेमारी...

मुंबई : सिद्धार्थ कॉलोनी, चेंबूर में बिजली चोरी और बकाया बिलों की समस्या से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रही है। अदालती आदेशों और कई एफआईआर के बावजूदकुछ निवासी बिना भुगतान किए बिजली का उपभोग करना और चोरी करना जारी रखे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में निवासियों से संभावित डेवलपर्स द्वारा यह वादा किया गया था कि उनके बिजली बिल का भुगतान डेवलपर्स द्वारा किया जाएगा।

नतीजतन, कई निवासियों ने अपने बिजली बिलों का भुगतान करना बंद कर दिया, जबकि कुछ ने अपने मौजूदा बिलों का भुगतान जारी रखा। कुछ ऐसे निवासी हैं, जिन्होंने पिछले सारे बकाये का भुगतान कर दिया है और नियमित रूप से मौजूदा बिलों का भुगतान भी कर रहे हैं। वर्ष 2019में, बिजली चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर डिस्कनेक्शन अभियान और सतर्कता छापे और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, अदानी इलेक्ट्रिसिटी ने अंतरिम आधार पर मौजूदा बिलों के भुगतान के शर्त पर बिजली बहाल कर दी थी। हालांकि, पिछले बिल की देनदारी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के जिम्मे ही रही।

इसके अलावा, अदानी इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में बिजली चोरी पर नकेल कसने के लिए सतर्कता छापे मार रही है, क्योंकि कुछ डिफॉल्टर ग्राहक कनेक्शन कटने के बाद बिजली चोरी करने लगे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भुगतान न करने वाले ग्राहकों के करनी की सजा जिम्मेदार ग्राहकों को न मिले।

हम सिद्धार्थ कॉलोनी के 70% निवासियों की सराहना करते हैं जो कम से कम अपने मौजूदा मासिक बिजली बिलों का जिम्मेदारी से भुगतान करते हैं, जिससे बिजली की निरंतर आपूर्ति बहाल है। हालांकि, यह बेहद चिंताजनक है कि लगभग 1100 निवासी बुनियादी जरूरतों से कहीं अधिक बिजली का उपयोग करने के बावजूद भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। यह लापरवाही हमारे अन्य ग्राहकों पर अनुचित बोझ डाल रही है जो अपने बिलों का भुगतान करते हैं।

मुंबई/ मनपा ने रेलवे को फिर से नाला सफाई करने का दिया निर्देश...

मुंबई : मानसून पूर्व नाला सफाई किया जाना प्री मानसून पूर्व कार्यों में महत्वपूर्ण माना जाता है। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर नाला सफाई का काम किया जाता है। नाला सफाई के काम पूरा होने के बाद मनपा इंजीनियरों द्वारा नालों का निरीक्षण किया जाता है। मनपा इंजीनियरों ने रेलवे की हद के सात काल्व्हर्ट की सफाई नहीं होने की जानकारी दी है। सभी काल्व्हर्ट मध्य और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मनपा ने मध्य और पश्चिम रेलवे को इन सफाई कार्यों को ठीक से करने के लिए कहा है।

हर साल बरसात से पहले नालों की सफाई करने के बावजूद बरसात के दौरान नालियां जाम हो जाती हैं। मुंबई में पानी भरने से मनपा को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुंबई मनपा मानसून से पहले नाला सफाई के काम में लापरवाही होने की जानकारी सामने ला रही है। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार ने हाल ही में मनपा पर नाला सफाई को लेकर आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि मनपा का नाला सफाई पूरा होने का दावा झूठा है। मनपा आयुक्त ने नाला सफाई विभाग को दो बार रेलवे परिसर के नालो का निरीक्षण करने का आदेश दिया था उन्होंने यह भी कहा था कि नाला सफाई का काम हुआ है की नहीं इसका जायजा लेकर रिपोर्ट दे।

आयुक्त के निर्देश पर मनपा इंजीनियरों ने नाला सफाई ठीक से नहीं होने की जानकारी दी। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे द्वारा अपनी सीमा के भीतर के नाला की सफाई करने का काम खुद करती है मनपा उन्हें नाला सफाई का पैसा देती है। मानसून के दौरान पानी भरने पर रेलवे और मनपा की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। रेलवे परिसर में नाला सफाई की नजर रखने की जिम्मेदारी मनपा अधिकारियों पर होती है।

ठाणे: पुलिस बल में 805 पदों के लिए 46 हजार से ज्यादा आवेदन

ठाणे: जिले के ठाणे शहर और ग्रामीण पुलिस बल में कांस्टेबल, कंडक्टर और ड्राइवर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया लागू की जा रही है. इन पदों की कुल 805 सीटों के लिए राज्य भर से 46 हजार से ज्यादा आवेदन दाखिल किए गए हैं और औसतन देखा जाए तो हर सीट के लिए 57 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. महिला अभ्यर्थियों के करीब नौ हजार आवेदन हैं। राज्य में वर्ष 2022-2023 के लिए भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष आयोजित की जाएगी और इस भर्ती प्रक्रिया के फील्ड टेस्ट बुधवार से शुरू होंगे।

इसमें ठाणे जिले के शहरी और ग्रामीण पुलिस बलों में कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्राइवर जैसे कुल 805 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें ठाणे ग्रामीण पुलिस बल में 119 पद और ठाणे सिटी पुलिस बल में 686 पद शामिल हैं। ठाणे सिटी पुलिस फोर्स में 686 पदों में से 666 पद कांस्टेबल पद के लिए होंगे। तो 20 सीटें ड्राइवर पद के लिए होंगी. साथ ही ग्रामीण पुलिस बल में 119 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, जिसमें पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए 73, ड्राइवर के पद के लिए 38 और पुलिस अधिकारी के पद के लिए आठ पद हैं.

ठाणे शहर और ठाणे ग्रामीण पुलिस बल में कुल 805 पदों के लिए 46 हजार 624 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। प्रत्येक सीट के लिए औसतन 57 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ठाणे शहर पुलिस बल को सबसे अधिक यानी 39 हजार 605 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 8 हजार 42 आवेदन महिलाओं के हैं। जबकि ग्रामीण पुलिस में 7 हजार 19 लोगों के आवेदन आये हैं. इसमें महिलाओं का अनुपात 1 हजार 15 है. ठाणे शहर पुलिस बल फील्ड टेस्ट प्रक्रिया ठाणे के साकेत मैदान में आयोजित की जाएगी। जबकि ठाणे ग्रामीण पुलिस फील्ड परीक्षण प्रक्रिया मुंब्रा के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। फील्ड परीक्षण के दौरान कदाचार को रोकने के लिए रिश्वत विरोधी विभाग, अपराध जांच शाखा की टीमों को तैनात किया जाएगा। ठाणे के साकेत मैदान और उसके आसपास 100 पुलिस अधिकारियों, 500 पुलिस कर्मियों और 70 मंत्रालय कर्मियों को नियुक्त किया गया है। चूंकि यह भर्ती प्रक्रिया बरसात के मौसम में होगी, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए मैदान में मंडप बनाये गये हैं.

ठाणे: दो रेल यात्रियों द्वारा दिव्यांग की पिटाई...

ठाणे: दिव्यांग होने का सवाल पूछने पर दो रेल यात्रियों द्वारा एक दिव्यांग की पिटाई करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में ठाणे लोहमार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। 38 साल का दिव्यांग व्यक्ति नालासोपारा इलाके में रहता है. कुछ दिन पहले उसकी दादी का निधन हो जाने के कारण वह नादिड़ गया था। 15 जून को उन्होंने मुंबई की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू की। वह राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन के दिव्यांग डिब्बे में यात्रा कर रहा था. 16 जून को आधी रात को ट्रेन मनावत रेलवे स्टेशन पर पहुंची. तभी कुछ यात्री दिव्यांग कोच में चढ़ गये. इनमें से दो यात्री नीचे वाली सीट पर आकर बैठ गए, जहां दिव्यांग युवक सो रहा था। तो दिव्यांग युवक ने उनसे पूछा कि क्या आप दिव्यांग हैं? ये सवाल पूछा.

इसके बाद गुस्साए दोनों यात्रियों ने उसके सिर पर पीटना शुरू कर दिया. उसके सिर से खून बहने लगा. उसने तुरंत ट्रेन की चेन खींच दी। कुछ देर बाद ट्रेन में सवार रेलवे सुरक्षा गार्ड विभाग के जवान वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों यात्रियों को पकड़ लिया. जब ट्रेन सुबह करीब 3 बजे छत्रपति संभाजीनगर स्टेशन पर पहुंची, तो यात्रियों में से एक भीड़ का फायदा उठाकर चला गया। दिव्यांग युवक ने ठाणे रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद इस मामले में पिटाई की शिकायत दर्ज कराई. उसके आधार पर ठाणे लोहमार्ग पुलिस स्टेशन में दोनों यात्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई में हुआ भयानक हादसा, टैंकर से टक्कर में दो की मौत

मुंबई : बोरीवली में एक तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में आने से दोपहिया वाहन पर सवार एक युवक और उसके पीछे बैठी एक युवती की मौत हो गई। हादसा रविवार दोपहर करीब 2 बजे बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क फ्लाईओवर पर हुआ। कस्तूरबा मार्ग पुलिस के मुताबिक, टैंकर और दोपहिया वाहन मलाड की ओर जा रहे थे. टैंकर ने फ्लाईओवर पर पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में भायंदर इलाके में रहने वाले राहुल कृष्णन (25) और जया पांडे (24) की मौत हो गई. इस मामले में टैंकर चालक अजमल अंसारी को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया.

कल्याण में एक मजदूर ने चाकू मारकर कर ली आत्महत्या!

कल्याण : कल्याण पश्चिम के चिकनघर इलाके में भवन निर्माण का काम कर रहे एक मजदूर द्वारा खुद पर तेज चाकू से वार कर आत्महत्या करने की बात सामने आयी है. ऐसा रविवार को हुआ. पुलिस और मृतक के परिजनों का कहना है कि मानसिक तनाव के कारण ऐसा हुआ है. मृतक मजदूर की पहचान अमसी रंगु राय (40) के रूप में की गई है. राय परिवार झारखंड राज्य से है। वह मजदूरी के लिए कल्याण आया है। महात्मा फुले पुलिस स्टेशन की पुलिस ने कहा, कल्याण पश्चिम के चिकनघर में छत्री बंगले के पास एक पानी की टंकी के पास अम्सी रंगू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बी। कंस्ट्रक्शन ओम पुष्पांजलि बिल्डिंग में काम कर रहा था. उसके साथ अन्य मजदूर भी कई दिनों से काम कर रहे थे। लेकिन, शनिवार की दोपहर आमसी रंगू राय कुछ ही देर में अपने आवास से चाकू लेकर आया. अन्य मजदूरों को बताए बिना, उसने खुद की गर्दन पर तेज चाकू से वार किया और खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया।

इमारत पर काम कर रहे अन्य मजदूरों ने अमसी राय को कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के रुक्मिणीबाई अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अमसी राय कई दिनों से मानसिक तनाव में थे. घटनास्थल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक अनुमान लगाया है कि इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी. इस मामले में अमसी राय के नाबालिग बेटे ने महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी है.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। मोबाइल नं 998777 5650, Email-editor@rokthoklekhaninews.com